न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 14 / 2015

1. श्री चान्द सिंह
2. श्री सोहन सिंह
   पुत्रगण श्री रामचन्द्र जाति दरोगा
   निवासीगण ग्राम भिनाय तहसील
   भिनाय जिला अजमेर

अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1975

———

उपस्थित :–1. श्री राकेश अरोड़ा वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 13.05.2016

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकारसे है कि सम्वत 2072 मे श्री चांद सिंह व श्री सोहन सिंह पुत्रगण श्री रामचंद्र जाति दरोगा निवासीगण ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर ने ग्राम भिनाय के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1325 कुल रक्बा 15–91 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर भूमि पर अनधिकृत रूप से मूंग काश्त कर व फलदार पौधे लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार भिनाय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 03 / 2015 पंजीबद्ध कर वाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.08.2015 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही काश्त शुदा फसल व अन्य सामग्री जब्त कर नीलाम करने के आदेश दिये गयं। अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी अक्षेपीय आदेश दिनांक 24.08.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मे उठाये गये बिन्दूओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिन्स्थ न्यायालय

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एंव राजस्व रेकार्ड को नजरअंदाज कर साइक्लोस्टाईल किये आदेश में कॉलम की पूर्ति कर दी गई जो आदेश की क्षेणी मे नहीं आता है। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर सदभाविक रूप से काबिज काश्त है उक्त भूमि पर उनका बाडा बना हुआ है तथा मूंग काश्त करने के साथ ही साथ फलदार वृक्ष लगा रखे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विवादीत अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 1995 पेज 460 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एंव R.B.J. 2006 पेज 291 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किय कि विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 542 भिन जिसके गत खसरा नम्बर 304 मिन रहे है पर अपीलान्ट बहैसियत काबिज काश्त रहा है, खसरा नम्बर 304 मं सं 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि के खातेदार अपीलान्टस रहे है तथा नामान्तरकरण संख्य 376 दिनांक 01.06.1969 से 4 बीघा की खातेदारी प्रदान की गई है। इस प्रकार 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि की खातेदारी सिद्ध दर्ज जिसे सिद्ध हुई जिसे भू संशोधन विभाग द्वारा नया नम्बर 542 बनाते हुए 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि का ही खातेदार दर्ज किया है अर्थात नवीन नम्बर 1326 रक्बा 0.87 हैक्टर का दर्जा कर 2 बीघा 14 बिस्वा करीब 0.44 हैक्टर की खातेदारी कम दर्ज की गई है एवं उक्त आराजियात नवीन खसरा नम्बर 1325 में सम्मिलित किया गया है जो कि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि से लगती हुई अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.45 व खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.17 स्थित है जिस पर एक मात्र अपीलान्टस का कब्जा काश्त रहा है। उपखण्ड अधिकारी के निर्देशनुसार दिनांक 23.03.2011 को तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार उक्त कब्जा गत 40 वर्षों से पुराना होना अंकित किया है उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजियात में कमी पेशी कर खसरा नम्बर 1325 सरकारी खाते में अंकन किये जाने बाबत तथा सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट दादाजी की खातेदारी का रकवा 16 बीघा 3.5 बिस्वा मे से भू संशोधन करते समय सहवन से सरकारी खाते मे दर्ज होना वर्णित किया है। अन्त मे उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे तथा अपील तहसीलदार भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वे अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरं से विधि सम्सत आदेश पारित करें।

विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब के लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड के सिवायवन्द्र दर्ज है

Scanned by CamScanner

तथा अपीलान्ट बहैसियत अतिक्रमी विवादित भूमि पर काबिज है। अपीलान्टस का यह कथन कि वे विवादित भूमि पर पुराने समय से सदभाविक रूप से काबिज है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुयार अपीलान्टस का अतिक्रमण नया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से व्यक्त है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिन है जहां वक भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान गलत खातेदारी गलत रूप से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने का प्रश्न है अपीलान्ट को अपील के माध्यम से कोई अनुतोष नही दिया जा सकता। इसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे वार्द दायर कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने हेतु स्वंतत्र है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारणीक होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner